

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, राँची

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

Regional Capacity Building and Knowledge Institute, Ranchi-834002

Indian Audit and Accounts Department

No. RTI-RAN/Admn.-24/Deptn/Non Faculty/2025-26/2 of Date: 11. 08. 2025

सेवा में.

समस्त विभागाध्यक्ष,

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के समस्त कार्यालय.

विषय :- संस्थान में किनष्ठ अनुवादक की एक(O1) नियमित अस्थायी रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के संबंध में

Subject: - Regarding the filling of one (01) regular temporary vacant post of Junior Translator on deputation basis.

महोदय/महोदया Sir/Madam,

उपरोक्त विषय के संबंध में मुख्यालय कार्यालय केपत्र संख्या 751/स्टाफ(एस एवं आर)/सी.सी./131 (A)-2013 दिनांक 23-07-2025 के संदर्भ में, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, रांची में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नीचे उल्लेखित पद को भरने के लिए उचित माध्यम(कैंडर नियंत्रण अधिकारी की मंजूरी के साथ विधिवत अग्रेषित) से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

A reference is cited to Headquarters' office letter No: 751/स्टाफ (एस एवं आर) /सी.सी./131 (A)-2013 dated 23.07.2025 regarding the subject mentioned above. In view of this, Applications are invited to fill up the below mentioned post in Regional Capacity Building & Knowledge Institute, Ranchi on deputation basis through proper channel (duly forwarded with approval of the cadre controlling officer).

SI.No./क्र.सं.		No of Post/ पदों की संख्या	Eligibility/Requirement योग्यता/आवश्यकता
1	Junior Translator कनिष्ठ अनुवादक	01 (एक)	 Holding analogous post on regular basis. नियमित आधार पर समरूप पद पर कार्यरत हो At least two years' experience in Rajbhasha/Translation related work. राजभाषा/अनुवाद संबंधित कार्य मे कमसे कम दो वर्ष का अनुभव Proficient in MS Office & e-office. एम एस ऑफिस और ई-ऑफिस में प्रवीणता

 Knowledge of Kanthasth & Bhashini কंতस्थ और भाषिनी का ज्ञान Ability to handle hindi reports, hindi translation, Rajbhasha related work, and other Rajbhasha/Admin matters
 हिदीं रिपोर्ट, हिंदी अनुवाद और राजभाषा सबंधी ज्ञान, अन्य राजभाषा/ प्रशासनसम्बन्धी मामलों को संभालने की क्षमता

All the IA&AD offices are requested to follow the instructions of the Headquarters circular Hqrs circular no. 11/Trg. Div./42-A/2023,dated 02.05.2023 and No. 398/Trg. Div./42-A/2019, dated: 14.07.2020.

सभी कार्यालयों से अनुरोध है कि मुख्यालय के परिपत्र सं. 11/Trg. Div./42-A/2023, दिनांक 02.05.2023 तथा No. 398/Trg. Div./42-A/2019, दिनांक 14.07.2020 के निर्देशों की पालना करें।

Terms of deputation & selection process:

The deputation period initially up to 28.02.2026 which is extendable subject to willingness
of the employee and at the discretion of the competent authority. However, the Regional
Capacity Building & Knowledge Institute, Ranchi reserves the right to repatriate a
deputationist at any time, if his/her performance is found unsatisfactory.

1.प्रारम्भिक प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 28.02.2026 तक रहेगी। जिसे मुख्यालय की अनुमित से वार्षिक आधार पर कर्मचारी की इच्छा और सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर आगे बढ़ाई जा सकती है। हालाँकि, अगर प्रतिनियुक्त कर्मचारी का प्रदर्शन (performance) असंतुष्ट पाया जाता है तो क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, रांची को उसको वापस मूल कार्यालय भेजने का अधिकार होगा।

- 2. Maximum age for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on date of application. The officials working on deputation basis shall not have the right for absorption in any post in the Institution. The applications of the officials working in the office on deputation basis on normal terms and conditions shall be forwarded through their respective Parent Office.
- 2. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु आवेदन की तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत अधिकारियों को संस्थान में किसी भी पद पर समावेश होने का अधिकार नहीं होगा। कार्यालय में सामान्य नियम एवं शर्तों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत अधिकारियों के आवेदन उनके संबंधित मूल कार्यालय के माध्यम से अग्रेषित किये जायेंगे।
- 3. While working at RCB&KI, the official will be entitled to deputation allowance as admissible. However, officials drawing MACP/NFU pay are not eligible for

Deputation allowance.

- 3.क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, रांची में कार्यरत रहते हुए, अधिकारी प्रतिनियुक्ति भत्ते के पात्र होंगे। हालाँकि, एमएसीपी /एनएफयू वेतन पाने वाले अधिकारी प्रतिनियुक्ति भत्ते के पात्र नहीं हैं।
- 4.Other existing terms and conditions in respect of deputation will be applicable.
- 4. प्रतिनियुक्ति के संबंध में अन्य विद्यमान नियम एवं शर्तें लागू होंगी।
- 5.A reference may be invited to Headquarters circular No 269/Trg Div/42-A/2019 dated 18.09.2019 wherein detailed instructions to the field offices on augmentation of staff (Administration and Faculty) have been issued for strict compliance. The instructions in said circular are reproduced below:
 - Field offices shall display the deputation notification issued by RCB&KI on the notice boards and circulated among the staff giving reasonable time to the candidated for responding to the notification.
 - ii. Filed offices shall forward all applications received from their offices/Staff against the positions advertised by RCB&KI/RCB&KCs to the concerned Institute/Centre, without withholding any application.
 - iii. On completion of selection process, the field offices shall obligatorily relieve the selected officers(s) for teaching/administrative assignment at RCB&KI/RCB&KCs at the earliest.
 - iv. The initial deputation period to RCB&KI/RCB&KCs however, reserves the right to repatriate a deputationist at time, if his/her performance is found unsatisfactory.

5.मुख्यालय के परिपत्र संख्या 269/प्रशिक्षण प्रभाग/42-ए/2019 दिनांक 18.09.2019 का संदर्भ आमंत्रित किया जाए, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालयों को कर्मचारियों (प्रशासन और संकाय) की वृद्धि के संबंध में सख्त अनुपालन हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त परिपत्र में दिए गए निर्देश नीचे पुन: प्रस्तुत हैं:

- i) क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, द्वारा जारी प्रतिनियुक्ति अधिसूचना को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करेंगे और उम्मीदवारों को अधिसूचना का जवाब देने के लिए उचित समय देते हुए कर्मचारियों के बीच प्रसारित करेंगे।
- ii) क्षेत्रीय कार्यालय आरसीबीएंडकेआई/आरसीबीएंडकेसी द्वारा विज्ञापित पदों के लिए अपने कार्यालयों/कर्मचारियों से प्राप्त सभी आवेदनों को बिना किसी आवेदन को रोके संबंधित संस्थान/केंद्र को अग्रेषित करेंगे।
- iii) चयन प्रक्रिया पूरी होने पर, क्षेत्रीय कार्यालय चयनित अधिकारियों को आरसीबीएंडकेआई/आरसीबीएंडकेसी में शिक्षण/प्रशासनिक कार्यभार के लिए यथाशीघ्र कार्यमुक्त करेंगे।
- iv) आरसीबी और केआई/आरसीबी और केसी में प्रारंभिक प्रतिनियुक्ति अवधि, तथापि, किसी प्रतिनियुक्तिकर्ता को उस समय प्रत्यावर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है, यदि उसका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है।
- 6. The application of officials willing to serve in Regional Capacity Building & Knowledge Institute, Ranchi in the above-mentioned capacity may kindly be forwarded along with the following documents <u>latest by</u> 10.11.2025

- 6. उपर्युक्त कार्य दक्षता अनुसार क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, रांची में सेवा देने के इच्छुक अधिकारियों के आवेदन को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ कृपया दिनांक 10.11.2025 तक भेजें।
 - I. Particulars of applicant/Bio-data (Annexure enclosed).

आवेदक/ बायो-डेटा(संलग्न) केविवरण।

II. Vigilance clearance Certificate: It may be certified that no Disciplinary/Court/Vigilance case is pending or contemplated against the applicant.

सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र : यह प्रमाणित किया जा सकता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/ न्यायालय / सतर्कता का मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है।

III. .Attested copies of ACRs/APARs dossier for the last 5 years i.e. (Year 2024-25, 2023-24, 2022-23, 2021-22 & 2020-21).

पिछले 5 वर्षों के लिए ACRs/APARs dossier की सत्यापित प्रतियाँ। i.e. (वर्ष2024-25, 2023-24, 2022-23, 2021-22 & 2020-21).

IV. Certificate to the effect that the particulars given by the applicant are correct. इस आशय का प्रमाण पत्र कि आवेदक द्वारा दिया गया विवरण सही है।

.Name of only those candidates may be recommended who can be relieved immediately on selection.

केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करे जिन्हें चयन पर तुरंत कार्यमुक्त किया जा सकता है।

This issues with the approval of the Director General. यह महानिदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित है|

Yours faithfully/भवदीय

Sr. Audit officer/ Adm